न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

4/12/24

मु0न0:– 81/2023

उनवान:– सोमोती बनाम हलकासी

किस्म:– प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, वकील उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम गोरडा की आराजीयात सायलान मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा बकिया हिस्से के गैरसायलान दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात पूर्व मे सायला व गैरसायल न0 1 के पिता भगोत्या की रही है तथा भगोत्या के मरने वाद उक्त आराजी गिर्राज, बिरजू व हलकासी के नाम आयी है, हलकासी सरकारी सेवा मे रहा है सेवा के दौरान हलकासी ने अपनी आय से अहमदाबाद व अन्य जगह सम्पत्ति खरीद रखी है जिसकी भनक गिर्राज व बिरजू को नही आने दी बिरजू निसंतान है बिरजू की सेवा सायलान द्वारा पूर्व मे व वर्तमान मे भी सायला सोमोती द्वारा की जा रही है। बिरजू द्वारा सायला की सेवा से प्रभावित होकर अपने नाम भूमि व मकान का दानपत्र कराकर कब्जा करा दिया है। इस प्रकार सायल का प्राईमाफेसी केस साबित है तथा सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है इसलिये गैरसायलान को तादावा फैसला दिनांक:– 16.08.2023 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्र्फम किया जावे। ताकि तादावा निर्णय तक उक्त आराजीयात मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

गैरसायल वकील द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात बावत एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी हलकासीराम बनाम बिरजू सायलान के विरूद्व दिनांक 26.07.2023 को पेश किया था जिसमे स्थगन आदेश जारी नही होने के कारण गैरसायल हलकासीराम राम को विधिविरूद्व तरीके से क्षति पहुचाने की गरज से एक दानपत्र दिनांक 31.07.2023 उनवानी बिरजू बनाम सोमोती बिरजू द्वारा सायल न0 1 के हक मे रजिस्टर्ड करवा दिया है यह भूमि पैतृक आराजी है जिसका कानूनन सम्पूर्ण हिस्से का दानपत्र नही किया जा सकता है। इस प्रकार दानपत्र दिनांक 31.7.2023 पैतृक होने के कारण बमुकाबले सायल नल एण्ड बोईड व निरस्त योग्य है तथा उक्त तथाकथित दानपत्र के आधार पर सायल न0 1 सोमोती को कोई हक हकूक किसी प्रकार के प्राप्त नही होते है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम गोरडा की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता न0 58 मे कुल किता 10 कुल रकवा 1.90 है0, खाता न0 59 कुल किता 1 कुल रकवा 0.25 है0, खाता न0 60 मे कुल किता 2 कुल रकवा 1.06 है0 मे सायलान 1 ता 6 व गैरसायल न0 1 मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी मे लगे नोट अनुसार दानपत्र का नामांतकरण स्वीकृत होकर सायल न0 1 सामोती का 1/3 हिस्से का अंकन है। सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ [illegible] बावत तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। जिसके न्यायो[illegible] निर्णय के लिये आराजीयात की मौके की स्थिति यथावत रखना उचित है। [illegible] दिनांक 16.08.2023 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल [illegible]र नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 11:16:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner